



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

NOTICE

फा. सं.: NCST/ATY-1250/UP/3/2023-APCR

दिनांक: 22/06/2023

श्री अशोक मुथा जैन
पुलिस आयुक्त,
जिला - वाराणसी,
कमिश्नर कंपाउंड,
वाराणसी, उत्तर प्रदेश 221002
Email Id: cp-pol.va@up.gov.in

विषय: चोलापुर कमिश्नरेंट थाना वाराणसी में शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न करने पर दर्ज मुकदमा संख्या 445 /2022 (चन्दन कुमार गोंड) से मुल्जिम और सहायक पुलिस आयुक्त (विवेचक) ने SC/ST एक्ट को हटाने का मुल्जिम से सौदा करके तहसील से प्रेषित उच्च अधिकारी और राजस्व निरीक्षक और लेखपाल द्वारा प्रमाणित जाति प्रमाण पत्र की जांच रिपोर्ट को गायब करके उसकी जगह नकली कूटरचित जांच रिपोर्ट लगाकर SC/ST एक्ट को ही हटा दिए है इसकी पुनः उच्च स्तरीय जांच की मांग के सम्बन्ध में श्री चन्दन कुमार गोंड का अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को श्री चंदन कुमार से दिनांक 27/05/2023 में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है, अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर आयोग को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबन्धित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है।


(अंकित कुमार सेन)
अनुसंधान अधिकारी
दूरभाष सं.: 24645826

ई-मेल: researchofficer-apcr@ncst.nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थः

श्री चंदन कुमार
ग्राम - भटपुरवा कला,
पोस्ट - कोहांसी चोलापुर,
जिला - वाराणसी, उत्तर प्रदेश - 221101
LAPTOPLEDTV@GMAIL.COM
Mobile No:9810340634